01.12.2021 परिवादी श्री डी.के. सोनी अधिवक्ता उपस्थित।
अभियुक्तगण अनिर्वाहित ।

CA No. 5817/20 आदेश पत्र दिनांक 01/12/21 की सत्यप्रतिलिपि

न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0।

परि0 **प्रकरण क्र0**....अपंजीकृत..../2021

डी0के0सोनी पिता स्व0 रामजी प्रसाद सोनी उम्र 45 वर्ष पेशा अधिवक्ता एवं आर.टी. आई. कार्यकर्ता, नावापारा अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 मो0 9826152904, 9713002913

................परिवादी / आवेदक

प्रति

1. श्री अनिल राय, प्रबंध संचालक, छ0ग0 रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर छ0ग0। मो0 नं0 9425219338
2. श्री जी.एस. सोलंकी, महाप्रबंधक, छ0ग0 रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर छ0ग0। मो0नं0
3. श्री मानसिंग ध्रुव, परियोजना प्रबंधक, छ0ग0 रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर छ0ग0। मो0नं0 9424212176
4. श्री सचिन शर्मा, प्रबंधक (वित्त), छ0ग0 रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर छ0ग0। मो0नं0
5. श्री निशेष भट्ट, आहरण एवं संवितरण अधिकारी, छ0ग0 रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर छ0ग0। मो0नं0
6. सुश्री रश्मि वैश्य, उप परियोजना प्रबंधक, छ0ग0 रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर छ0ग0। वर्तमान पदस्थापना अम्बिकापुर मो0न0
7. श्री अभिषेक विश्वकर्मा, सहायक परियोजना प्रबंधक, छ0ग0 रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर छ0ग0। वर्तमान पदस्थापना अम्बिकापुर कार्यालय मो0नं0 8435690000
8. श्री सुनील कुमार पाण्डेय, टीम लीडर, मेसर्स एल.एन. मालवीया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. (क्वालिटी जांच अधिकारी टीम) c/o आर0के0शर्मा मास्टर सदन प्लाट नं0 119, आरसीसी टीपी नगर जियर शा0 कन्या स्कूल कोरबा छ0ग0 495677
9. सुशील अग्रवाल प्रोप्राईटर मेसर्स किशन एण्ड कंपनी 4/12 श्री टॉवर प्रथम तल शान्ति नगर रायपुर छ0ग0 फोन नं0 07714045228
10. राहुल सोनी प्रबंधक एआरसी टेस्टींग लैबोटरी केएच नं0 42/914 विलेज बादली नियर आस्था हॉस्पिटल न्यू दिल्ली 110042 मो0नं0 9818555221
11. श्री शंकर अग्रवाल प्रो0 जगदम्बा कन्सट्रक्शन कंपनी सूरजपुर जिला सूरजपुर छ0ग0 मो0 नं0 9826339700

..............अभियुक्तगण / अनावेदकगण

CANCELLED

Scanned with CamScanner

01.12.2021

परिवादी श्री डी.के. सोनी अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता पर तर्क हेतु नियत है।

उपरोक्त आवेदन पर परिवादी अधिवक्ता का तर्क सुना गया।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन संक्षेप मे इस प्रकार है कि परिवादी/आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ही साथ आरटीआई कार्यकर्ता एवं व्हीसल ब्लोवर के रूप में सरगुजा संभाग में कार्य करता है, तथा भष्ट्राचार एवं फर्जीवाडा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर घोटाला करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही कराता है। छ0ग0शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय रायपुर द्व ारा आदेश कमांक 1703/689/2017/19/तक–3 रायपुर दिनांक 27/4/2017 के माध्यम से प्रबंध संचालक छ0ग0 सडक विकास निगम लिमिटेड रायपुर को अम्बिकापुर रिंग रोड के सुदृढीकरण एवं उन्नयन कार्य के लिये **9757.49 लाख** रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके उपरांत छत्तीसगढ रोड डेवलपमेन्ट कॉपोरेशन लिमि0 रायपुर द्वारा आदेश कमांक 1864/ सीजीआरडीसी/2017 रायपुर दिनांक 21/7/2017 के माध्यम से मेसर्स श्री किशन एवं कंपनी 4/12 श्री टॉवर, 1स्ट फलोर शांतिनगर रायपुर को अम्बिकापुर रिंग रोड के निर्माण हेतु वर्क आर्डर जारी किया गया था, उक्त रिंग रोड को **0 कि0मी0 से 10.80 कि0मी0** तक का रोड निर्माण करना था, जिसके लिये श्री किशन एण्ड कंपनी को एक वर्ष की समयावधि प्रदान की गयी थी। तथा वर्क आर्डर कि राशि **70,60,06,250/–** रूपये स्वीकृत की गयी थी। अम्बिकापुर के रिंग रोड निर्माण प्रारंभ हुये लगभग तीन वर्ष से काफी समय हो गया और ठेकेदार की समयावधी समाप्त हो गयी लेकिन आज दिनांक तक रिग रोड कम्पलीट नहीं हो पाया है जो कि दिनांक 13/5/20 को दी गयी जानकारी से स्पष्ट है। रोड में आधे अधूरे कार्य किया गया है और कार्य की काफी धीमी गति है जिसके कारण आज दिनांक तक उक्त 11 कि0मी0 के रिंग रोड को पूरा नहीं किया जा सका है, उक्त रिंग रोड को पूरा नही करने के कारण ठेकेदार द्वारा गारंटी अवधि को समाप्त करने का भी खेल खेला जा रहा है कि जितनी गारंटी अवधि है उतने समय निर्माण कार्य में लगा दिया जाये। जिससे की गांरटी अवधि समाप्त हो जाये और जमा सिक्यूरिटी राशि लेकर मामला रफा दफा कर दिया जाये। उक्त कार्य श्री किशन एण्ड कंपनी को दिया गया है लेकिन श्री किशन एण्ड कंपनी के द्वारा स्वयं कार्य न कर के उक्त रिंग रोड को

Scanned with CamScanner

पेटी कांट्रेक्ट पर सूरजपुर के ठेकेदार शंकर अग्रवाल प्रो0 जगदम्बा कंस्ट्रक्शन अभियुक्त/अनावेदक क्र0 11 को दे दिया गया है जिसके कारण भी उक्त कार्य काफी घटिया स्तर का कराया गया है एवं जो ड्राईग डिजाईन स्वीकृत हुयी थी उसके अनुसार कार्य नहीं किया गया है। उक्त रिंग रोड के स्वीकृत डाईग, डिजाईन नक्शा की प्रति संलग्न है। रिंग रोड अम्बिकापुर के लिये जो स्टीमेट शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसके तहत रिंग रोड का निर्माण करना था जिसका आदेश दिनांक 29/4/17 को छ0ग0 सड़क विकास निगम लिमिटेड रायपुर के महाप्रबंधक ने जारी किया था उक्त आदेश की प्रति तथा स्वीकृत स्टीमेट जो सूचना के अधिकार से दिनांक 6/3/19 प्राप्त हुआ है कि प्रति संलग्न है। अम्बिकापुर रिंग रोड के लिये जो प्रशासकीय स्वीकृति की गयी है तथा किस-किस कार्य को करना है उसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत आवेदक को प्राप्त हुयी है दिनांक 3/10/2019 को प्राप्त हुयी है जिसमें सभी कार्यो का उल्लेख तथा उक्त कार्य के लिये कितनी राशि लगना है का भी उल्लेख किया गया है। उक्त कार्य जो स्वीकृत हुये है उसमें से बहुत से कार्य ठेकेदार द्वारा अधिकारियों से मिलकर रिंग रोड में नहीं कराया जिसका मौके पर भौतिक सत्यापन करने से स्पष्ट हो जायेगा इसमें भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। उक्त रिंग रोड बनने से दुर्घटना की कमी होगी का भी उल्लेख किया गया है इसके अलावा उक्त रिंग रोड को 4 वर्ष तक देख रेख करना है पूर्ण होने के बाद से लेकिन अभी कार्य पूरा हुआ नहीं है और रिंग रोड की हालत खराब हो गयी है। जिसकी जांच कर दोषी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है। क्योंकि शासकीय राशि का गबन करना आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। रिंग रोड अम्बिकापुर का निर्माण सी0सी0 करना था तथा उसकी लम्बाई चौड़ाई कितनी करनी थी गहराई कितनी स्वीकृत है के दस्तावेज जो कि आवेदक को सूचना के अधिकार से दिनांक 22/5/2019 को प्राप्त हुआ है कि प्रति इस शिकायत आवेदन के साथ संलग्न है। अम्बिकापुर के रिंग रोड के निर्माण कार्य में कौन-कौन अधिकारी संलग्न है तथा किनके देख रेख में कार्य कराया गया है तथा उक्त रिंग रोड में किस-किस अधिकारी के द्वारा राशि का भुगतान किया गया है तथा उक्त रिंग रोड के कार्य में हुये गड़बड़ी एवं घोटाला के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है कि जानकारी सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 13/8/2019 को

Scanned with CamScanner

प्राप्त किया गया है जिसमें सभी अधिकारियों का नाम एवं पदनाम दिया गया है। अम्बिकापुर में बनाये गये रिंग रोड के निर्माण के लिये एक टीम लीडर की भी नियुक्ति की गयी थी तथा उक्त टीम लीडर की भी उतनी है जिम्मेदारी निर्माण कार्य में थी जितना की अधिकारियों का तथा ठेकेदार का उक्त टीम लीडर की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 27/7/2019 को प्राप्त की गयी है जिसमें टीम लीडर का नाम पता दिया गया है जिसके द्वारा रिंग रोड के संबंध में कागजी कार्य किया है। अम्बिकापुर के रिंग रोड में आज दिनांक तक विभाग द्वारा ठेकेदारों को कितनी राशि भुगतान कर दी गयी है उसकी भी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 4/10/2019 को प्राप्त की गयी है तथा उक्त राशि को भुगतान करने का क्या आधार दिया गया है। उसके अनुबंध की कॉपी भी प्रदान की गयी है। उक्त रिंग रोड में दिनांक 4/10/2019 तक कुल **94,08,56,752/–**करोड रूपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि वर्क आर्डर **70,60,06,250/–**रूपये स्वीकृत किया गया था और भुगतान **94,08,56,752/–**करोड़ रूपये का कर दिया गया जो कि **23,48,50,502/–**रूपये का अधिक भुगतान अधिकारियों से मिली–भगत कर किया गया है जो कि उक्त दस्तावेज से प्रमाणित है तथा शासकीय राशि का खुले रूप संलग्न है जो कि एक आपराधिक कृत्य है इसलिये संबंधित के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज किया जाना आवश्यक है। अम्बिकापुर में बने हुये रिंग रोड के निर्माण के बाद दिनांक 18/10/2019 को श्री आर0 पुराम प्रभारी मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) एवं टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन है उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में काफी कमियां रिंग रोड के निर्माण के संबंध में निकाली गयी तथा बहुत सारे कमियों को पूरा करने का भी निर्देश दिया तथा काफी सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था लेकिन ठेकेदार एवं कार्य में संलग्न अधिकारियों के द्वारा उसमें भी लिपा–पोती कर जैसे–तैसे कार्य को किया गया और अधिकारी को प्रभावित कर अपना कार्य करा लिया गया जबकि वर्तमान में मौके पर उक्त सभी कमियां मौजूद है जिसे निरीक्षण अधिकारी ने अपने टीप में लिखा था इसिलये भी संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। अम्बिकापुर के रिंग रोड के निर्माण के संबंध में जो अनुबंध हुआ है उसके अनुसार अनुबंध दिनांक से ही ठेकेदार को इंश्योरेन्स कराना होता है लेकिन ठेकेदार द्वारा

Scanned with CamScanner

अनुबंध का उल्लघंन करते हुये दिनांक 26/3/2018 को इंश्योरेन्स कराया गया जो कि सूचना के अधिकार से दिनांक 3/10/2019 को उक्त दस्तावेज प्राप्त हुआ है। उक्त इंश्योरेन्स में भी अनुबंध राशि **70,60,06,250/–**रूपये का ही उल्लेख किया गया है। इस तरह इसमें भी ठेकेदार द्वारा की गयी गलती को अधिकारियों के द्वारा बचाया गया है। तथा अधिकारी मोटी कमीशन खा कर कार्य में लिपा–पोती किये है। अम्बिकापुर के रिंग रोड के निर्माण के संबंध में ठेकेदार एवं विभाग के मध्य अनुबंध हुआ था जिसमें ठेकेदार द्वारा रिंग रोड का निर्माण कार्य दिनांक 1 सितम्बर 2017 से प्रारंभ करना था जिसे दिनांक 30 जुलाई 2018 तक समाप्त करना था जिसके संबंध दिये गये समयावधि जिसके तहत किस दिनांक को क्या–क्या कार्य ठेकेदार को करवाना था कि जानकारी है तथा किस कार्य में कितनी–कितनी राशि लगनी है का भी उल्लेख किया गया है जो कि प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित है। लेकिन उल्लेखित कार्य भी ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया और कार्य से अधिक राशि विभाग से प्राप्त कर ली गयी जो कि एक आपराधिक कृत्य है। अम्बिकापुर रिंग रोड के निर्माण के कार्य को लेने के लिये ठेकेदार को अनुभव की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिये ठेकेदार किशन एण्ड कंपनी के द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र विभाग में प्रस्तुत किये गये है उक्त दस्तावेजों के आधार पर ठेकेदार किशन एण्ड कंपनी रिंग रोड निर्माण का ठेका लेने का पात्र था ही नहीं उक्त दस्तावेज सूचना के अधिकार से दिनांक 3/10/2019 को प्राप्त किया गया है। अगर उपरोक्त रिंग रोड जो सी0सी0 रोड था का ठेका प्राप्त करना हो तो उसके लिये उस तरह का तीन सड़क बनाने का अनुभव होना चाहिये लेकिन ठेकेदार द्वारा एक भी सी0सी0 सड़क बनाने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया सिर्फ डामरीकरण बनाने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया उसी समय छ0ग0 सड़क विकास निगम के अधिकारियों के द्वारा उसे रिजेक्ट/अयोग्य कर देना था लेकिन ठेकेदार द्वारा अधिकारियों से मोटी सेंटीग कर तथा मोटा माल देकर उक्त रिंग रोड के निर्माण का ठेका लिया गया और बाद में स्वयं निर्माण न कर उसे पेटी ठेकेदार को मोटा कमीशन लेकर दे दिया गया इसलिये उक्त रिंग रोड़ के निर्माण कार्य में काफी भ्रष्टाचार एवं फर्जीवाड़ा तथा घोटाला हुआ है जिसके कारण ठेकेदार तथा संलग्न सभी अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना आवश्यक है। अम्बिकापुर में बने रिंग रोड को पूरा बनाने के

Scanned with CamScanner

लये वर्क प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें यह साफ–साफ दिया गया हे कि कौन सा कार्य किस–किस दिनांक तक पूरा करना है यानि रोड़ वर्क से लेकर डिवाइडर पुल पुलिया निर्माण लैण्ड स्केपीग, तथा पौधारोपण एवं आर्ट वर्क सभी का तिथि निर्धारित किया गया था लेकिन आज दिनांक तक उक्त वर्क प्रोग्राम के अनुसार कार्य नहीं किया गया और आज भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अम्बिकापुर में बने रिंग रोड़ का कार्य मुख्य रूप से किशन एण्ड कंपनी अनावेदक क्र0 9 को मिला था लेकिन उक्त पूरा कार्य पेटी ठेकेदार श्री जगदम्बा कंपनी सूरजपुर को दे दिया गया इसलिये उक्त रिंग रोड़ के घटिया निर्माण के लिये जगदम्बा कंपनी के प्रोपाईटर अभियुक्त/अनावेदक क्र0 10 भी पूरी तरह जिम्मेदार है किशन एण्ड कंपनी द्वारा जगदम्बा कंपनी को उप ठेकेदारी के देने के संबंध जो दस्तावेज विभाग में प्रस्तुत किये गये है जिसे आरटीआई से प्राप्त किया गया है। उपरोक्त रिंग रोड निर्माण के संबंध में कौन–कौन से अधिकारी संलग्न है तथा उक्त रिंग रोड़ के क्वालटी किस अधिकारी एवं संस्था द्वारा जांच कर सही होने का रिपोर्ट दिया गया है उन सभी का नाम पदनाम आरटीआई से प्राप्त किया गया है। चूंकि रिंग रोड में बने सड़क की क्वालटी काफी घटिया है तथा रिंग रोड का सरफेस सही नहीं है एवं अनुबंध के तहत नहीं बनाया गया है वाहन चलाने से वाहन लहराता है एकदम स्मूथ नहीं है लेकिन उसके बाद भी रिंग रोड सही होने के संबंध में जांच रिपोर्ट देकर राशि का भुगतान कराया गया है इसलिये अभियुक्त/अनावेदक क्र0 10 राहुल सोनी भी पूर्ण रूप से उक्त भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ी में शामिल है। इसलिये इनके विरूद्ध भी प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना आवश्यक है। अम्बिकापुर में बने रिंग रोड़ के संबंध में जो जांच हुयी थी उसकी जांच अनावेदक क्र0 10 की संस्था के द्वारा ऑफिस में बैठकर कर दिया गया तथा मौके पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गयी और ठेकेदार से मोटी रकम लेकर ठेकेदार के पक्ष में रिपोर्ट दे दिया। उक्त रिपोर्ट की कॉपी सूचना के अधिकार के माध्यम से दिनांक 22/7/2019 को विभाग से प्राप्त किया गया है। उक्त रिपोर्ट का क्या आधार है स्पष्ट नहीं किया गया है अगर किसी रोड की जांच की जाती है तो उसका सेम्पल लिया जाता है मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया जाता है लेकिन जांच कंपनी एआरसी टेस्टीग लैबोरटी के द्वारा गलत रिपोर्ट देकर ठेकेदार एवं अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि मौके में रिंग रोड़ खराब है लेकिन टेस्टीग रिपोर्ट

Scanned with CamScanner

में अच्छा है इसलिये उक्त गड़बड़ी में तथा साक्ष्य छुपाने में अभियुक्त/अनावेदक क्र0 10 एवं उनके सहयोगी भी जिम्मेदार है। अम्बिकापुर में बने रिंग रोड़ के अनु बंध में कही भी रिवाइज का प्रावधान नहीं दिया गया है लेकिन ठेकेदार द्वारा विभाग के अधिकारियों को अपने साथ मिलाकर उक्त रिंग रोड़ में लगभग **4,75,59,330/–**रूपये का रिवाईज किया गया है। तथा अर्थवर्क एवं सीमेंट क्रांकीट पेवमेन्ट (PQC) के लिये जो रिवाईज किया गया है उक्त कार्य पूर्व के अनुबंध में दिया गया था उसे पूर्व के ही राशि में पूरा करना था लेकिन गलत तरीके से कार्य को दर्शा कर उपरोक्त राशि रिवाईज करा कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया है और सभी अभियुक्तगण/ अनावेदकगण आपस में मिली–भगत कर शासन की राशि का बन्दरबाट किये है उक्त रिवाईज आदेश की कॉपी जो दिनांक 26/3/19 को आरटीआई से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इसके साथ रिवाईज का स्टीमेट भी दिया गया है उक्त स्टीमेट एवं पूर्व में दिये गये स्टीमेट का मिलान किया जाता है तो स्पष्ट रूप से साफ तौर पर फर्जीवाड़ा नजर आता है जिसमें सभी अभियुक्तगण/अनावेदकगण एक साथ एक राय होकर शासकीय राशि का गबन करने हेतु षडयंत्र किये हे इसलिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। अम्बिकापुर के रिंग रोड निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा ठेकेदार के साथ अनुबंध किया गया है। उक्त अनुबंध पत्र में पूरे रिंग रोड़ के निर्माण संबंधी दिशा निर्देश के अलावा सभी तथ्यों का उल्लेख है तथा किस तरह से रिंग रोड़ बनाना है, क्वालटी किस तरह का होना है, रिंग रोड के बिल का भुगतान किस प्रकार से करना है तथा कहां–कहां पर क्या–क्या कार्य कराना है कितनी समयावधि में कार्य करना है बिलों का भुगतान किस प्रकार से करना है पूरा पार्ट–1 से पार्ट–6 तक दिया गया है और ठेकेदार तथा विभाग का अनुबंध निष्पादित किया गया है उक्त अनुबंध में दिये गये प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया गया और अनुबंध के शर्तो का खुले रूप से ठेकेदार द्वारा उल्लघ ंन किया गया है लेकिन ठेकेदार के विरूद्ध विभाग द्वारा अनुबंध के उल्लघंन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी जैसे उदाहरणस्वरूप रिंग रोड़ के निर्माण में काफी विलम्ब हुआ जिसके लिये विभाग को ठेकेदार के विरूद्ध पेनाल्टी लगाना था लेकिन विभाग के अधिकारी अभियुक्तगण/अनावेदकगण ठेकेदार के उपर इतने मेहरबान है कि अनुबंध से अधिक लगभग

Scanned with CamScanner

23,48,50,502/– करोड़ रूपये का भुगतान कर दिये तथा जिस काम का पूर्व से अनुबंध किया गया है उसी काम को रिवाईज बिल लगाकर ठेकेदार का लाभ पहुंचा दिये जिसमें सभी अभियुक्तगण/अनावेदकगण संयुक्तरूप से उक्त आपराधिक कृत्य के लिये जिम्मेदार है इस कारण सभी अभियुक्तगण/ अनावेदकगण के विरूद्ध शासकीय राशि जो करोड़ो में है को हड़पने के लिये षडयंत्र किया गया है तथा फर्जी दस्तावेज तैयार कराया गया और एक–दूसरे का साथ दिया गया इसलिये भी सभी लोग उक्त अपराध में संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक जिम्मेदार है। इसलिये सभी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया जाना आवश्यक है। छ0ग0 सड़क विकास निगम लिमिटेड रायपुर द्वारा दिनांक 29/4/2017 को यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय अधिकारों के प्रायोजन के संख्या क्र0 2 में निहित शक्तियां का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा सरगुजा जिले में अम्बिकापुर रिंग रोड़ लम्बाई 10.80 किमी के उन्नयन एवं विकास कार्य हेतु छ0ग0 लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड वर्क ब्रिज तर्क एवं बिल्डिंग वर्क हेतु जारी एस0ओ0आर0 जो दिनांक 1/1/2015 से प्रभावशील है के दरों के आधार पर तैयार किये गये प्राकलन राशि **8586.79 लाख रूपये (पच्चासी करोड छियासी लाख उन्यासी हजार रूपये)** की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। **क) सड़क निर्माण कार्यो में लागू होने वाले संबंधित इंडियन रोड कांग्रेस (आई0सी0सी0 कोड) एवं भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा समय–समय पर सड़क मार्गो के निर्माण हेतु जारी स्पेसिफिकेशन/मेन्युअल का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। ख) निर्माण कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाये तथा यह तकनीकी स्वीकृति अनुदान की देयता का घोतक नहीं है निर्माण कर्यो का संपादन बजट प्रावधान व उपलब्ध राशि के अन्तर्गत किया जावे।** उक्त आदेश में दिये गये निर्देशों का भी पालन ठेकेदार द्व ारा नहीं किया गया तथा इंडियन रोड कांग्रेस के कोड के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किया गया उसके अनुसार मशीनरी नहीं लगाई गयी तथा बहुत सारे नियमों का उल्लघंन ठेकेदार द्व ारा किया गया है। इंडियन रोड़ कांग्रेस 2015 से 2017 का जो कोड दिया गया है। उसमें भी साफ तौर पर रिंग रोड़ निर्माण के संबंध में दिशा निर्देश एवं सी0सी0 रोड़ के नियमावली दिये गये

Scanned with CamScanner

है जिसका पालन ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया एवं ठेकेदार का सहयोग सभी अधिकारियों के द्वारा किया गया इसलिये उक्त रिंग रोड़ निर्माण में सभी लोग संयुक्त रूप से जिम्मेदार है इसलिये सभी के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज किया जाना आवश्यक है। रिंग रोड़ निर्माण के संबंध में किये गये अनुबंध के प्रावधान के अनुसार 50 प्रतिशत कार्य ही उप ठेकेदारी यानी पेटी पर दिया जा सकता है लेकिन अभियुक्त/अनावेदक क्र0 9 किशन एण्ड कंपनी के द्व ारा पूरा रिंग रोड़ को उप ठेकेदारी पर अभियुक्त/अनावेदक क्र0 11 को दे दिया गया है जो कि अनुबंध के अनुसार गलत है। लेकिन सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 20/6/2019 को प्रदान की गयी है। यह उल्लेख किया गया है कि उप ठेकेदार पर सिर्फ 0 से 5.25 किमी तक ही दिया गया है जो कि स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि पूरे रिंग रोड के लोग एवं पूरे शहर के लोगो को मालूम है कि पूरे रिंग रोड का निर्माण सूरजपुर के सेठ जी यानि अभियुक्त/अनावेदक क्र0 11 के द्वारा कराया गया है इसलिये कागजो में यह कहना की आधा कार्य अभियुक्त/अनावेदक क्र0 9 मूल ठेकेदार किशन एण्ड कंपन से कराया है गलत है। जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार कराया गया है इसलिये गलत दस्तावेज तैयार कराने के संबंध में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है। अम्बिकापुर के रिंग रोड़ निर्माण के संबंध में एक सिम्पल शिकायत किया गया था जिसमें एक जांच की गयी थी उसमें भी जांच टीम को ठेकेदार द्व ारा अपने पक्ष में मिला लिया गया था लेकिन उक्त जांच टीम के द्वारा अपने जांच रिपोर्ट में यह दिया गया था कि सरफेश इंरिगलूरीटी पाई गयी जिसे इंडियन रोड़ कांग्रेस SPI6-2004 में दिये गये प्रावधान अनुसार थर्ड पार्टी (Bumpint cgrata agency) द्वारा Toderence limt में प्राप्त होने के पश्चात् अंतिम भुगतान किया जाना उचित होगा। उक्त दस्तावेज आरटीआई से प्राप्त किया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा उक्त रिपोर्ट को भी अधिकारियों से मिली–भगत कर गलत बनाते हुये राशि निकलवा ली गयी तथा अभियुक्त/अनावेदक क्र0 8 के द्वारा ठेकेदार का साथ दिया गया एवं फाइनेन्स मैनेजर को मिला कर रिंग रोड़ के बिलो का भुगतान प्राप्त किया गया। उक्त जांच न तो मौके में की गयी और न ही शिकायतकर्ता के समक्ष की गयी सिर्फ कागजों में रोड़ की जांच कर विभाग में जमा करा लिया गया और ठेकेदार द्वारा भुगतान प्राप्त कर लिया गया जो कि एक आपराधिक कृत्य है एवं शासकीय राशि को हड़पने का एक

Scanned with CamScanner

षडयंत्र रचा गया है। अम्बिकापुर रिंग रोड़ निर्माण में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड अम्बिकापुर द्वारा पाईप लाईन हेतु अलग से वर्क आर्डर दिनांक 19/12/2017 को जारी किया गया, उक्त वर्क आर्डर में **299.7 लाख** की राशि का प्रावधान दिया गया था। उक्त वर्क आर्डर के आधार पर ठेकेदार बलराम दास द्वारा जैसे–जैसे कार्य किया गया और उक्त कार्य का टोटल भुगतान दिनांक 28/2/2019 को राशि **3,88,63,870/–** रूपये प्राप्त किया गया उक्त कार्य के मेजरमेन्ट वुक एवं भुगतान पंजक सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किया गया है। उक्त कार्य में भी वर्क आर्डर से अधिक राशि का भुगतान PHE विभाग के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार को किया गया है तथा जो स्पेशिकेशन के पाईप लाईन बिछाने का कार्य एवं उसका 3 माह तक देख–रेख करना था वह नहीं कराया गया रिंग रोड़ में कई जगह पानी का लिकेज हो रहा है जो कि ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य की घटिया क्वालटी को प्रमाणित करती है। इसलिये उक्त विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदार क विरूद्ध भी जांच कर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अम्बिकापुर में बने रिंग रोड़ का DPR जो कि कॉन्ट्रेक्टर द्वारा तैयार किया गया है उसकी प्रति संलग्न है। उक्त DPR में पूरे रिंग रोड़ के बारे में कार्य के दौरान की जानकारी दी गयी है। लेकिन उक्त DPR के अनुसार भी कार्य नहीं किया गया है। उक्त DPR जो स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार भी ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया गया है उक्त DPR में दिये गये प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया है। जिसे ठेकेदार अधिकारियों से मिली–भगत कर तैयार कराया गया है। अगर रिपोर्ट की भी विधिवत जांच होनी चाहिए क्योंकि उक्त रिपोर्ट में भी काफी गड़बड़ झाला है। इसी प्रकार रिंग रोड़ अम्बिकापुर का इंश्योरेस ऑफ क्वालटी के संबंध में जो कि भारत सरकार के गाईड लाईन से एक स्वतंत्र एजेन्सी से कराना था जिसे एल0एन0 मालवीय इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 के द्वारा ठेकेदार के साथ मिल कर गलत रूप से तैयार किया गया है। उक्त दस्तावेज भी नियमों के अनुसार तैयार नहीं किये गये है तथा ठेकेदार एवं अधिकारियों से मिली–भगत कर फर्जी रूप से तैयार किया गया है। अम्बिकापुर रिंग रोड़ के संबंध में ठेकेदार मिशन एण्ड कंपनी तथा विभाग के विरूद्ध जो (LOA) हुआ है। उक्त (LOA) के नियमों का भी पालन सही तरीके से नहीं किया गया है। तथा जो शर्ते रखी गयी थी उसका भी उल्लघंन किया गया है इसलिये भी ठेकेदार एवं संलग्न अधिकारियों के विरूद्ध

e.F.4-1

Scanned with CamScanner

अपराध पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है। अम्बिकापुर रिंग रोड़ के संबंध में विभाग एवं ठेकेदार के मध्य EPC अनुबंध निष्पादित किया गया है, लेकिन उक्त EPC अनुबंध के नियमों का भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। इसलिये भी उक्त मामले में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना आवश्यक है। अम्बिकापुर रिंग रोड के निर्माण के संबंध में अनावेदकगण ने जो रिंग रोड का मेजरमेंट तैयार किया है तथा जिसमें कार्यो का उल्लेख किया गया है जिसके तहत राशि भुगतान की गयी है। उक्त मेजरमेंट में जिन कार्यो का करने का उल्लेख किया गया है उक्त कार्य मौके पर नहीं किये गये है तथा राशि निकालने के लिये फर्जी मेजरमेंट कर शासकीय राशि का गबन किये है। यह भी व्यक्त किया है कि **रिंग रोड अम्बिकापुर के निर्माण कार्यो में जो फर्जीवाडा किया गया है वह इस प्रकार है:–** **(1)** उक्त कार्य एक वर्ष में पूरा करना था वह नहीं किया गया जिससे विभाग एवं ठेकेदार के बीच हुये अनुबंध के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध अर्थदण्ड पेनाल्टी लगाना था लेकिन अधिकारीयो से मिली भगत कर के पेनाल्टी नहीं लगाया गया जबकि अनुबंध के अनुसार करोडो रूपये की पेनाल्टी ठेकेदार के विरूद्ध लगानी थी। जबकि ठेकेदार को वर्क आर्डर से अधिक राशि का भुगतान कार्य पूरा किये बिना दे दिया गया है उक्त अनुबंध की कॉपी इस शिकायत के साथ प्रस्तुत है। **(2)** उपरोक्त रिंग रोड की लम्बाई 10.80 कि0मी0 दोनो ओर 21.60 किमी अभी भी रिंग रोड के काफी कार्य बचे हुये है जबकि समयावधि समाप्त हो चूकि है। इसलिये विभाग को ठेकेदार के विरूद्ध पेनाल्टी की कार्यवाही करनी चाहिए थी जो कि नहीं किया जा रहा है। जो अनुबंध में दिया गया है। **(3)** उक्त रिंग रोड सडक निर्माण स्टीमेट के अनुसार नहीं कराया गया है, जो सडक निर्माण हुआ है वह काफी ही घटिया क्वाल्टी का है, क्योकि सडक पर गाडी चलाने पर गाडी लहरा रही है यानी समतल नहीं किया गया है अगर गाडी की स्पीड 20 की भी हो तो भी गाडी उपर नीचे होता है जिससे सडक बराबर लेबल नहीं किया गया है और घटिया काम करा कर पेटी ठेकेदार द्वारा जैसे तैसे पिन्ड छुडा लिया गया है। **(4)** उक्त रिंग रोड सडक निर्माण के कार्य में प्राक्कलन के अनुरूप नहीं कराया जा रहा है जितनी मोटाई सडक के उपर ढलाई होनी चाहिए उसके अनुसार सडक नहीं बनाया गया है जो कि सड़क निर्माण स्थल पर स्पष्ट दिखाई देता है तथा स्टीमेट में जिन कार्यो का उल्लेख है तथा जो कार्य स्वीकृत है उन कार्यो को नहीं कराया गया है और उन

Scanned with CamScanner

कार्यो की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है जो कि स्टीमेट को देखने से स्पष्ट है। **(5)** उक्त रिंग रोड सडक निर्माण के कार्य में प्रावधान के अनुसार आठ कलवर्ट बाक्स का निर्माण होना था लेकिन जितना भी निर्माण कार्य हुआ है, वह ड्राईग डिजाईन एवं स्टीमेट के विपरीत किया गया है तथा काफी ही घ ाटिया क्वाल्टी का किया गया है। **(6)** उक्त रिंग रोड सडक निर्माण कार्य में नौ बडे जक्शन का प्रावधान है लेकिन मौके पर काफी घटिया किस्म के कार्य कराया गया है तथा स्टीमेट एवं ड्राईग डिजाईन के विपरीत कराया गया है। **(7)** उक्त रिंग रोड सड़क निर्माण कार्य में 20 छोटे जक्शन भी बनाने का प्रावधान है लेकिन एक भी जक्शन सही तरीके से नहीं बनाया गया है और काफी ही घटिया स्तर का कार्य किया गया है। जो कि वर्तमान रिंग रोड देखने से स्पष्ट हो रहा है एवं स्वीकृत हुई है उसके दस्तावेज से प्रमाणित है तथा बिना कार्य कराये राशि निकाल लिया गया है। जो स्टीमेट में स्पष्टरूप से दिया गया है। **(8)** उक्त रिंग रोड सड़क का निर्माण कार्य में जो नाली बनाया गया है वह काफी ही घटिया क्वाल्टी का बनाया गया है, इनमें न तो ढलाई के बाद पानी का तराई किया गया और न ही मजबूती है, जिसके कारण काफी जगह पर नाली की ढलाई दब गया है जिससे कभी भी कोई दुघर्टना हो सकती है। तथा जब भी पानी बरसता है रिंग रोड़ में पानी लबालब भर जाता है तथा अघोषित स्वीमिंग पूल बन जाता है क्योंकि रिंग रोड़ में बने नाली स्वीकृत ड्राईग डिजाईन के नहीं बने है जिससे रिंग रोड के आस–पास के रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है उनके घरो में पानी घुस जाता है। जिसके कारण कई जगह नाली को तोड़ना पड़ा और पानी निकासी का रास्ता बनाना पड़ा। इसलिये नाली निर्माण की भी विधिवत जांच होनी चाहिए। तथा दोषी अधिकारी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है। **(9)** यह कि रिंग रोड सडक निर्माण कार्य में जितनी राशि का मेजरमेन्ट इनके द्वारा प्रस्तुत कर बील निकाला गया है उतना का कार्य नहीं किया गया है अधिकारीयो से मिली भगत कर गलत मेजरमेंट कर उक्त राशि निकाली गयी है उक्त मेजर मेन्ट में किसी भी तरह का दिनांक एवं हस्ताक्षर मेजरमेन्ट करने वाले अधिकारी का नहीं है और न ही मेजरमेन्ट करने वाले का अधिकारी नाम है। इसलिये उपरोक्त दस्तावेजो की भी जांच विधिवत शिकायतकर्ता के समक्ष किया जाना आवश्यक है। **(10)** यह कि रिंग रोड के बीच में ड्राईग डिजाइन के अनुसार पाईप

Scanned with CamScanner

लाईन बिछाया जाना था जिससे कई तरह के वायर का विस्तार होता लेकिन रिंग रोड के बीच में जो डिवाईडर बना है उसमें कही भी पाइप नहीं है बिजली के खम्मे के तार भी उपर मिटटी में दबा कर ले जाया गया है। जबकि उसकी भी राशि ठेकेदार द्व ारा अधिकारियों से मिली–भगत कर निकाल ली गयी है जो कि मेजरमेन्ट बुक से प्रमाणित है। **(11)** रिंग रोड के दोनो साईड में फुटपाथ साढे तीन– साढे तीन फीट का बनाये जाने का प्रावधान ड्राईग डिजाईन में दिया गया है जिसके लिये अलग से राशि भी आबंटित किया गया थ, लेकिन ठेकेदार द्वारा कही पर भी फुटपाथ नहीं बनाया गया तथा फुटपाथ की पुरी राशि का घ ोटाला किया गया है, जो फुटपाथ बनाया गया है वह नाली के उपर बनाया गया है जो कि प्रावधानो एवं स्टीमेंट के विपरीत है। जबकि मेजरमेंट में फुटपाथ की राशि निर्माण दर्शा कर निकाल ली गयी है इसलिये ठेकेदार एवं सभी अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। इस कारण शासकीय राशि का घोटाला करने के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। **(12)** रिंग रोड के स्टीमेन्ट में दिया गया है **कि 94 लाख 52 हजार** का प्रोटेबल बेरीकेट लगाना था जिसका उल्लेख स्टीमेंट के आईटम सिरियल नं0 एस–8–34 में दिया गया है लेकिन ठेकेदार द्वारा प्रोटेबल बेरीकेट का काम नहीं किया गया है तथा इस कंडिका का पालन नहीं किया है आईआर सी एसपी–55–2001 के अनुसार करना था जो नहीं किया गया है जिसमें **94 लाख 52 हजार** ठेकेदार द्वारा अधिकारगण से मिली भगत कर बचाया गया है। क्योंकि स्वीकृत स्टीमेंट के अनुसार न तो ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया है और न ही अधिकारियों के द्वारा कार्य कराया गया है इसलिये संयुक्त रूप से सभी अधिकारीगण उक्त भ्रष्टाचार एवं फर्जीवाड़ा में दोषी है इस कारण भी सभी के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना आवश्यक है। **(13)** रिंग रोड के स्टीमेंट के सिरियल नं0 14 के 8.2 में रिंग रोड के दोनों तरफ कर्फ विथ चैनल बनाने का प्रावधान दिया गया है जिसकी लागत **राशि 7679150/–** है जो कि मौके पर नहीं बनाया गया है उक्त राशि का फर्जीवाडा अधिकारीयो से मिलकर ठेकेदार द्वारा किया गया। **(14)** रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार कंडिका सी 15 में दिया गया है कि टोटल रोड में 6 बार पेन्ट करना है एरो निशान बनाना है जिसकी लागत **राशि 553380** रूपये का है जो कि रिंग रोड के ठेकेदार द्वारा मौके पर नहीं किया गया है तथा उक्त राशि का गबन अधिकारीयो से मिली भगत किया गया

Scanned with CamScanner

है। **(15)** रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार कंडिका कमांक सी 16, 17, एवं 18 के अनुसार 10 बडे साईन बोड लगाने है, तथा **455 छोटे** साईन बोड लगाने है जिसमें स्टीमेंट के अनुसार टोटल **खर्च 703410/–** दिया गया है जो कि रिंग रोड के ठेकेदार द्व ारा मौके पर नहीं लगाया गया है तथा जो लगाया भी गया है वह उस क्वाल्टी एवं वजन का नहीं लगाया गया है। तथा संख्या भी कम में लगाया गया है, उक्त कार्य की राशि का गबन अधिकारीयो से मिली भगत किया गया है। **(16)** रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार कंडिका कमांक 18 के सब कंडिका में पाईप डक्ट रोड के एक छोर से दुसरे छोर तक बनाना था, जो पूरे रिंग रोड में 109 जगह बनना था, जिसे नहीं बनाया गया है तथा दोनो नालियो में यूटीलीटी डालनी थी, जिससे वायर डालने में काम आ सके तथा डिवाईडर के बीचो बीच पाईन लाईन डालना था जो कि नहीं किया गया है जिससे वायर डालने, पानी पाईप लाईन डालने के काम आता जो कि ठेकेदार द्वारा मौके पर नहीं किया गया है तथा पूरे रोड में उक्त कार्य के खुदाई को भी सामिल किया गया है उसका भी राशि ठेकेदार द्वारा प्राप्त किया गया है जबकि उक्त कार्य हुआ ही नहीं है, उक्त कार्य की राशि का गबन अधिकारीयो से मिली भगत कर किया गया है। **(17)** रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड के मार्सी सायल नहीं है सिर्फ आडनरी सायल है लेकिन ठेकेदार द्वारा ब्लैक स्वायल एवं एक्सपांसी स्वायल नहीं है उसका भी गलत तरीके से खुदाई का राशि स्वीकृत करा कर राशि निकाला गया है। **(18)** रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड में जो नाली बनना था नाली का खुदाई करना था, उसमें मुरम डालना था, 30 कांसिग पूरे रिंग रोड में बनाना था, नाली की गहराई 25 से0मी0 तथा 4 फीट चौडाई होनी चाहीए तथा नाली का ड्रेनेज डिजाईन के अनुसार बनाना था लेकिन ठेकेदार द्वारा ड्रेनेज डिजाईन के अनुसार नहीं बनाया गया है, तथा रिंग रोड के नाली को कांस बनाना था जो कि रिंग रोड में कही भी कांस नहीं बनाया गया है जिसके कारण बरसात के दिनो में बरसात का पानी रिंग रोड में जमा हो जाते है तथा रिंग रोड तालाब की शक्ल ले लेता है रिंग रोड के नाली को स्टीमेंट के अनुसार नहीं बनाय गया है क्योकि नाली में मेन होल बनाना था वह भी नहीं बनाया गया है जिसके लिये 21 लाख 90 हजार की राशि का उल्लेख स्टीमेंट में दिया गया है उक्त कार्य किये बिना ही उसकी राशि भी पूरी निकाल ली गयी है, वर्तमान में रिंग रोड़ के मिशन चौक में नाली

Scanned with CamScanner

गलत तरीके से बनाने के कारण पूरी नाली तोड़नी पड़ी क्योंकि वहां पर पानी जाम हो जाता था तथा बरसात एवं नाली का पानी लोगों के घरों में घुस जाता था जिससे काफी लोगो को परेशानी होती है। इसलिये भी ठेकेदार एवं अधिकारीयो के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं फर्जीवाड़ा गबन का मामला दर्ज किया जाना आवश्यक है। **(19)** रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड में फुटपाथ नहीं बना है उसके लिये 5 करोड 27 लाख रूपये का प्रावधान दिया गया है उक्त सभी राशि ठेकेदार द्वारा अधिकारीयो से मिली भगत कर निकाल लिया गया है जबकि उक्त रिंग रोड में नाली के उपर फुटपाथ नहीं बनना था अलग से फुटपाथ बनाना जिसकी चौडाई 1 मीटर की होती तथा रिंग रोड के दोनो साईड 3.5 फीट का गढढा खोदना था 6 इंच मुरम डालना था, इसके अलावा जीएसबी गिट्टी डालना था, इसके अलावा 75 एमएम थींक सीमेंट कांक्रीट बेस करना था उसके बाद प्री कास्ट सीमेंन्ट टाईल्स 25 एमएम थीक 22 एमएम थीक मोटा होना चाहिए इसके अलावा एम 2 का साईड में सीमेन्ट कांक्रीट करना है जिससे मजबूती बने रहे,जो कि नहीं कि गया है तथा रिंग रोड में लगे हुये टाईस स्टीमेंट में दिये गये प्रावधानो के अनुसार नहीं है तथा काफी घटिया क्वाल्टी का लगाया गया है जो निर्माण के समय ही टुट रहा है तथा उक्त तरीके से लगाया भी नहीं गया है। तथा रिंग रोड़ में बहुत से जगह पर टाइल्स नहीं लगाये गये है लेकिन ठेकेदार द्वारा मेजरमेंट में पूरे रिंग रोड़ में दोनो तरफ टाइल्स लगाने का उल्लेख कर राशि निकाल ली गयी है जो कि स्पष्ट रूप से शासकीय राशि का गबन है इसलिये ठेकेदार एवं अधिकारियों के उपर अपराध पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है। **(20)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड में स्टील वर्क रेलींग लगाना है जिसके लिये **52 लाख 36 हजार रूपये** का प्रावधान दिया गया है लेकिन मौके पर कोई भी कार्य स्टील रेलींग का नहीं किया गया है पूरी राशि ठेकेदार द्वारा अधिकारीयो से साठ गांठ कर गबन किया गया है। इसके अलावा रिंग रोड के साईड के दिवालो में पेन्टींग कराने का भी प्रावधान दिया गया है उसमें भी कार्य नहीं कराया गया है तथा 35 किलो पर मीटर वर्क होना चाहिये जो कि नहीं किया गया है इस तरह उक्त कार्य की भी राशि ठेकेदार अधिकारीयो से मिली भगत कर गबन किये है। मेरीन डाईव तालाब के पास जो स्टील रेलीग का कार्य कराया गया है वह नगर निगम के द्वारा कराया गया है तथा कुछ चौक चौराहों पर वाल पेन्टींग कराया गया है वह भी

Scanned with CamScanner

निगम द्वारा कराया गया है उक्त कार्य रिंग रोड़ के ठेकेदार के द्व
ारा नहीं कराया गया है उसकी पूरी राशि गबन कर लिया गया है
इसलिये भी प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना आवश्यक है।
(21) अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड
के डिवाईडर को 18280 रनिग मीटर बनाना है, जक्शन और
इन्टर सेक्शन में भी इनको डिवाईडर बनाना था, हर 25 मीटर पर
366 जगह सर्पोट बीम डालना था, जिसका साईज 70 सेन्टीमीटर
20ग15 देना था लेकिन मौके पर नहीं दिया गया है, इसके
अलावा रिंग रोड में कटेल पवाईन्ट 65 जगह देना है, लेकिन नहीं
दिया गया है, आरसीसी एम 20 होना है जो कि नहीं किया गया
है उपरोक्त के लिये **1.3980191/–** की राशि का प्रावधान
स्टीमेंट में दिया गया है जिसमें कांक्रीट भी करना है जो कि नहीं
किया गया है। डिवाईट इतने गन्दे तरीके से बनाया गया है
कि एक–एक फीट रोड़ के तरफ निकल गया है जिससे आए
दिन वाहनों का खराब डिवाईडर से हो जाता है कही भी
डिवाईडर सही नहीं है तथा बहुत जगह पर बिना छड़ डाले ही
डिवाईटर बना दिये है। इस कारण भी शासकीय राशि का गबन
करने के संबंध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना आवश्यक
है। **(22)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग
रोड के डिवाईडर में सरिया डाई 180 सेटर टू सेन्टर बांधना है,
पूरी लेन्थ में 12 बार लगाना है, लेकिन एक ही साइड बांध कर
समाप्त कर दिया गया है ठकेदार द्वारा अधिकारीयो से मिली
भगत कर सरिया कम लगाया गया है लोहे का 60933 रिंग
बनाना है लेकिन रिंग रोड के डिवाईडर में बहुत ही कम जगह
रिंग बनाया गया है तथा सरिया का उपयोग कम किया गया है
स्टीमेंट में दिये गये सरिया से कम सरिया उपयोग कर काफी
राशि बचाया गया है और बील पूरे सरिया का निकाला गया है
जिसमें अधिकारीयो की भी मिली भगत है। **(23)** अम्बिकापुर में
बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड डिवाईडर में जो
लोहा लगाया जाना था वह 21.3एमएम का ड्राया 3.2 एमएम का
क्लास एच , उसका वनज 1.44 केजी पर रनिंग मीटर का होना
चाहिए जो कि मौके पर लगाये गये लोहा का नहीं है उसमें
काफी घटिया एवं कम वजन का लोहा लगाया गया है उक्त
लगाये जाने वाले लोहे का कुल वेट रनिंग मीटर **124377** मीटर
का लगाना था जो कि नही लगाया गया है जबकि उसकी भी
पूरी राशि अधिकारीयो द्वारा ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया
है और आपस में बन्दर बाट कर शासकीय राशि का गबन किया

Scanned with CamScanner

गया है। इसलिये शासकीय राशि का गबन करने के अपराध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना आवश्यक है। **(24)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड डिवाईडर में पानी निकलने हेतु जाली लगाना था, लेकिन कही पर भी जाली नहीं लगाया गया है 600एमएम के कील होल कवर लगाना था 65 जगह पर जिसका खर्च **13 लाख 675 रूपये** का प्रावधान स्टीमेंट में दिया गया है उक्त कार्य को भी अधिकारीयो के द्वारा ठेकेदार से नहीं कराया गया है और उक्त कार्य की राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। जिसका मेजरमेंट में स्पष्ट उल्लेख है। तथा स्टीमेंट में उक्त कार्य हेतु प्रावधान दिया गया है। **(25)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड में सात जगह स्टेनलस स्टील का बस स्टॉपेज बनाना था लेकिन एक भी बस स्टॉपेज नहीं बनाया गया है उक्त कार्य के लिये स्टीमेंट में एक करोड की राशि का प्रावधान दिया गया है उक्त राशि को भी अधिकारीयो द्वारा ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है। जो कि मेजरमेंट बुक से प्रमाणित है। उक्त कार्य का प्रावधान स्टीमेंट में भी दिया गया है। **(26)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड में रिटनिंग वाल **550** मीटर बनाना था, जिसकी चौडाई 1.7 मीटर तथा गहराई 1.5 मीटर बनाना था लेकिन मौके पर कही भी नहीं बनाया गया है जो बनाया भी गया है वह काफी घटिया स्तर का बनाया गया है तथा **550 मीटर** पूरे रिंग रोड़ में मिलाकर भी रिटनिंग वाल नहीं बनाया गया है जबकि उक्त कार्य के लिये स्टीमेंट में **एक करोड 16 लाख** की राशि का प्रावधान है उक्त राशि को भी अधिकारीयो के द्वारा ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है। जो कि मेजरमेंट बुक से साफ तौर पर प्रमाण्ति है। उक्त कार्य का प्रावधान भी स्टीमेंट में दिया गया है। **(27)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड के डिवाईडर में 65 लाख रूपये का पौधारोपन करना था, जिसमें फ्लावरिंग **9.14 कि0मी0** में पौधो एवं फुल लगाना है एवं उसको एक साल तक मेंन्टनेन्स करना है इसके अलावा 3 से 4 फीट के पाम, वासन, टोनिया जैसे पौधों को पूरा आर्गनिक कर के लगाना है टोटल **3047 पौधे** लगाना है तथा एक पौधे की किमत **935 रूपये** का होना चाहिए। लेकिन पूरे रिंग रोड़ में कही पर भी उक्त प्रावधान के अनुसार उपरोक्त वर्णित पौधे नहीं लगाये गये है। जो पौधे कुछ जगह पर लगाये गये है वह पौधे नगर निगम के द्वारा लगाया गया है। उक्त कार्य भी सही तरीके से अनावेदकगण

Scanned with CamScanner

के द्वारा ठेकेदार से नहीं किया गया है उक्त कार्य की राशि भी ठेकेदार के द्वारा अधिकारियों से मिली–भगत कर प्राप्त कर लिया गया है। उक्त कार्य का प्रावधान भी स्पष्ट रूप से स्टीमेंट में दिया गया है। **(28)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड के डिवाईडर में 3 से 4 फीट **के 3047 पौधे** लगाना है जिसकी कीमत 660 रूपये प्रति पौधा है तथा सभी पौधों एवं जमीन को आर्गनिग करके खाद के साथ लगाना है लेकिन ठेकेदार द्वारा काफी घटिया एवं **40–50 रूपये** में मिलने वाले कनेल के पौधे जो कि 1 से 2 फीट के साईज के है को लगाया गया है और पूरी संख्या भी नहीं है तथा आधा रिंग रोड़ से ज्यादा जगह में डिवाईडर खाली है वहां पर कोई भी पौधें नहीं लगाये गये है जबकि उक्त कार्य की राशि भी ठेकेदार द्वारा निकाल लिया गया है। उक्त कार्य का उल्लेख भी स्टीमेंट में किया गया है। **(29)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड के पाथ वे में दोनो **साईड 9.14 कि0मी0** में फुल एवं झाडियां लगानी थी, **कुल 18.28 किमी0** में लगाना था, जिसका स्टीमेंट के अनुसार **50947/– प्रति** किलो मीटर के हिसाब से मेंन्टनेन्स का प्रावधान दिया गया है तथा **1,22,100/– रू0 प्रति** किलोमीटर पौधा लगाने का दिया गया है, रिंग रोड़ के मौका स्थल निरीक्षण से कहीं पर भी पाथ वे के दोनों साइड फूल एवं झाड़ियां नहीं लगाया गया है जबकि उपरोक्त कार्य की राशि भी ठेकेदार द्वारा मेजरमेंट में उललेख कराकर अधिकारियों से मिली–भगत कर पूरी राशि निकाल ली गयी है। जो कि मेजरमेंट के अवलोकन से स्पष्ट प्रमाणित है। उक्त कार्य का प्रावधान भी स्टीमेंट में स्पष्ट रूप से दिया गया है। **(30)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड के दोनो साईड **14624 मीटर** तक हेज लगाना था, जिसके लिये **24,56,832/– रूपये** का प्रावधान दिया गया है तथा उपरोक्त हेज के मेंन्टनेन्स का प्रावधान हेतु भी अलग से राशि का आबंटन किया गया है लेकिन पूरे रिंग रोड़ के किसी भी साइड में हेज नहीं दिखता है तथा उक्त हेज की राशि भी ठेकेदार द्वारा मेजरमेंट में वर्णित कराकर आहरण करा लिया गया है जबकि मौके पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। जबकि स्टीमेंट में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। **(31)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड के दोनो साईड 3 से 4 फीट के पाम, हासटोनिया, जैसे पौधों को आर्गनिक करके लगाना था दोनो साईड **2438 पौधे** लगाना थे जो कि रिंग रोड के दोनों साईड

Scanned with CamScanner

में लगाये जाने का प्रावधान है जिसका प्रति पौधा 835/– **रूपये** के हिसाब से भुगतान करने का प्रावधान है उक्त पूरा कार्य स्टीमेंट के अनुसार **22 लाख 80 हजार** का प्रावधान दिया गया है लेकिन पूरे रिंग रोड में कही भी उक्त कार्य दिखाई नहीं देता है और ना ही उक्त कार्य कराया गया है उक्त कार्य कराये बिना उसकी पूरी राशि मेजरमेंट कराकर ठेकेदार द्वारा निकाल लिया गया है। उक्त कार्य का प्रावधान स्टीमेंट में साफ तौर पर दिया गया है। **(32)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड में हर 10 मीटर पर बडे पौधे लगाना है जिसमें नीम, शीशम, बरगद जैसे पौधे लगाने का प्रावधान है, टोटल **1462 पौधे** बड़े पेड वाले लगाने का प्रावधान है उक्त पौधो की कीमत **750/– रूपये** का एक पेड लगाना था तथा उपरोक्त कार्य हेतु **10,96,500/– रूपये** की राशि का प्रावधान स्टीमेंट में दिया गया है लेकिन ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य भी मौके स्थल पर नहीं कराया गया है तथा एक भी नीम, शीशम, बरगद नामक कोई भी पौधा रिंग रोड़ में नहीं लगा है जबकि उक्त कार्य की राशि भी ठेकेदार द्वारा अधिकारियों से मिली–भगत कर निकाल लिया गया है। उक्त कार्य का प्रावधान भी स्टीमेंट में साफ तौर पर दिया गया है। **(33)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड में डेकोरेटिव पौधे कुल **संख्या 2438** लगाना था, लेकिन रिंग रोड़ में कही भी डेकोरेटिव पौधे दिखाई नहीं देता डेकोरेटिव पौधे की कीमत **660 रूपये** का एक पेड लगाना था तथा उसका मेन्टनेन्स भी एक साल करना था लेकिन ठेकेदार के द्वारा अधिकारियों से मिली–भगत कर उक्त पौधा भी नहीं लगाया गया है। तथा उक्त कार्य का भी मेजरमेंट कराकर उसकी राशि निकाल ली गयी है। उक्त कार्य का प्रावधान स्टीमेंट में साफ तौर पर दिया गया है। **(34)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड में लगे हुये पौधे की सुरक्षा हेतु **6338 जाली** लगाना था उक्त जाली की कीमत स्टीमेट के अनुसार **एक करोड 88 लाख 902 रूपये** का है लेकिन रिंग रोड में कही भी पौधो की सुरक्षा हेतु कोई भी जाली नहीं लगाया गया है क्योंकि पौधा ही नहीं लगाया है तो उसकी सुरक्षा हेतु जाली लगाने की आवश्यकता ही नहीं पडी और जाली लगाने की **1,88,00,902/– रूपये** का भी मेजरमेंट कराकर अधिकारियों से मिली–भगत कर ठेकेदार द्वारा राशि का आहरण कर लिया गया जो कि स्पष्ट रूप से शासकीय राशि का गबन दिखाई देता हैं उक्त कार्य का भी प्रावधान स्टीमेंट में दिया गया है। **(35)**

Scanned with CamScanner

अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड के फुटपाथ के बाजू की लैण्ड स्कीपींग हार्टीकलचर पद्धति से कराने का प्रावधान था जिसके लिये टोटल खर्च स्टीमेट के अनुसार **3 करोड 15 लाख** सभी कार्य को मिलाकर था लेकिन उक्त कार्य भी ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया और वर्तमान में रिंग रोड़ के दोनो तरफ फुटपाथ के बाजू में लैण्ड स्कीपींग हार्टीकलचर पद्धति से कराया गया दिखाई नहीं देता है उक्त कार्य की राशि भी मेजरमेंट कराकर ठेकेदार द्वारा अधिकारियों से मिली भगत कर निकाल लिया गया है। **(36)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड में पांच मूर्ति लगानी थी जो 5 से 7 फीट की होने का प्रावधान दिया गया है इसके अलावा **120 मूर्ति** भी लगानी थी जो 2 से 5 फीट होनी थी **टोटल 125 मूर्ति** लगाने का प्रावधान स्टीमेंट में दिया गया है, लेकिन मौके पर एक भी मूर्ति ना तो 5–7 फीट वाली और ना ही 2–5 फीट वाली दिखाई देती है उक्त कार्य की राशि का भी मेजरमेंट कराकर ठेकेदार के द्वारा अधिकारियो से मिली–भगत कर निकाल लिया गया है। इसके अलावा 1.6 कि0मी0 में दो मीटर हाईट में सीमेन्ट आर्ट रूलर वर्क का कराना था लेकिन उक्त कार्य भी रिंग रोड़ में कही पर भी दिखाई नहीं देता है लेकिन उक्त कार्य का भी मेजरमेंट कराकर पूरी राशि निकाल ली गयी है। इन दोनों कार्यो हेतु स्टीमेंट में **एक करोड 51 लाख रूपये** का प्रावधान दिया गया है लेकिन मौके पर ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कराया गया और पूरी राशि ठेकेदार द्वारा निकाल लिया गया है। जबकि स्टीमेंट में उक्त कार्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। **(37)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड के डिवाईडर में लगाये गये स्ट्रीट लाईटींग में अर्थिंग भी देना था तथा कॉपर कन्डेक्टर भी देना था उक्त कार्य की **राशि 90 लाख रूपये** स्टीमेंट में उल्लेख किया गया है लेकिन उक्त कार्य भी ठेकेदार द्वारा नहीं कराया गया है तथा उक्त कार्य की राशि का मेजरमेंट कराकर पूरी राशि निकाल ली गयी है क्योंकि अर्थिंग सही तरीके से नहीं करने के कारण बहुत जगह रात को अधेरा रहता है तथा लाईटे सही तरीके से नहीं जलती है जबकि उक्त कार्य का भी स्पष्ट रूप से स्टीमेंट में प्रावधान दिया गया है। **(38)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड के फुटपाथ में अलग से लाईटिग देना था जिसमें अर्थिंग भी अलग से लगाना था तथा अर्थिंग कॉपर का होना चाहिए तथा लगाये गये एलइडी लाईट की दो वर्ष की गारंटी रहेगी, उक्त

Scanned with CamScanner

कार्य हेतु **टोटल 96 लाख 70 हजार रूपये** का प्रावधान स्टीमेंट में दिया गया है लेकिन उक्त कार्य भी ठेकेदार के द्वारा सही तरीके से नहीं कराया गया और बहुत जगह फुटपाथ के अगल–बगल लाईट नहीं लगाया गया तथा जो लाईट लगाया भी गया है वह काफी घटिया क्वालिटी का लगाया गया है क्योंकि जब रात को लाईट जलाया जाता है तो आधी लाईट जलती है और आधी नहीं जलती है जबकि उक्त **लाईट का 2 वर्ष का गारंटी** का प्रावधान स्टीमेंट में दिया गया है। उक्त कार्य का भी मेजरमेंट ठेकेदार द्वारा कराकर पूरी राशि निकाल ली गयी है। तथा शासकीय राशि का अधिकारियों से मिली–भगत कर गबन किया गया है जबकि उक्त कार्य का भी प्रावधान स्टीमेंट में साफ तौर पर उल्लेख है। **(39)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड के लाईटो के लियें अलग से पांच ट्रासंफार्मर लगाने का प्रावधान दिया गया है उक्त कार्य हेतु **16 लाख रूपये** का प्रावधान दिया गया है लेकिन ठेकेदार द्वारा पूर्व से बिजली विभाग के लगे ट्रांसफार्मर से ही पूरा विद्युत कनेक्शन देकर उपरोक्त राशि भी बचाया गया है क्योंकि अलग से ट्रांसफार्मर होने से विद्युत प्रवाह रात्रि कालिन में अच्छे से रहता लेकिन नया ट्रांसफार्मर नहीं होने से लो वॉल्टेज की समस्या होती है जिसके कारण रिंग रोड़ में अंधेरा कायम रहता है। जबकि उक्त कार्य का मेजरमेंट ठेकेदार के द्वारा कराकर पूरी राशि ठेकेदार द्वारा निकाल लिया गया है। स्टीमेंट में उक्त कार्य का साफ तौर पर प्रावधान दिया गया है। **(40)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड के चौक चौराहो पर सात जगह ट्रैफिक सिंग्नल लगाना था, जिस कार्य हेतु **93 लाख 80 हजार** रूपये का प्रावधान स्टीमेंट में दिया गया है तथा उक्त राशि से ही 10 साल तक उपरोक्त सिंग्नल का मेन्टनेस भी इन्ही ठेकेदार को करना है, लेकिन ठेकेदार द्वारा पूर्व से लगे हुये सिग्नल को ही मरम्मत कराकर लगा दिया गया है तथा बहुत से जगह सिग्नल काम भी नहीं कर रहे है जबकि मेन्टनेस की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की है। लेकिन कभी भी कोई मेन्टेनेस ठेकेदार के द्वारा नहीं किया जाता है तथा जितनी जगह ट्रैफिक सिंग्नल लगानी थी उतनी जगह लगाया भी नहीं गया है जबकि उपरोक्त कार्य का मेजरमेंट कराकर ठेकेदार द्वारा पूरी राशि अधिकारियों से मिली–भगत कर निकाल ली गयी है इसलिये भी शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में आपराध दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त कार्य का भी स्टीमेंट में साफ तौर पर

Scanned with CamScanner

प्रावधान दिया गया है। **(41)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड में लगे हुये पानी, सिवर एवं अन्डर ग्राउन्ड टेलीफोन लाईन को अन्डरग्राउन्ड करना था तथा पहले से लगे हुये हैन्डपम्प, विद्युत ट्रांसफारमर सभी की सिफटिग/ट्रान्सफर करने का भी कार्य रिंग रोड़ के ठेकेदार का था तथा नया कार्य भी अन्डरग्रान्डर सिवर, पानी, टेलीफोन वायर के लाईन का भी कार्य करना था जिसके लिये स्टीमेंट में 6 करोड 69 लाख रूपये का प्रावधान दिया गया था लेकिन मौके पर ठेकेदार के द्वारा ना तो हैण्डपम्प हटाया गया और ना ही टेलिफोन लाईन विद्युत ट्रासफार्मर हटाया गया उक्त कार्य को विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कराया गया जबकि आज भी कई सारे हैण्डपम्प रिंग रोड़ के साईड में दबे हुये है जिसका सिफटिंग ठेकेदार के द्वारा नहीं कराया गया है और उक्त कार्य की पूरी राशि का मेजरमेंट कराकर राशि आहरण कर लिया गया है। जबकि स्टीमेंट में उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से दिया गया है। **(42)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड में टी सी एस टाईप –1 की तरह कि0मी0 0 से 5.25 कि0मी0 यानि खरसिया चौक से बिलासपुर चौक तक 9 मीटर के यानी दोनो साईड 18 मीटर में 35 से0मी0 कांकीट करना था बाकी जगह में 30 से0मी0 कांकीट करना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा कि0मी0 0 से 5.25 कि0मी0 खरसिया चौक से बिलासपुर चौक तक एवं सभी जगह 30 से0 मी0 ही कांकीट कर दिया गया, तथा स्टीमेंट के प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं किया गया एवं 35 सेमी कांक्रीट का मेजरमेंट करा कर पूरी राशि निकलवा ली गयी जो कि स्पष्ट शासकीय राशि का गबन है जबकि स्टीमेंट में उक्त कार्य का साफ–साफ प्रावधान दिया गया है। **(43)** यह कि ठेका कंपनी श्री किशन एण्ड कंपनी को रिंग रोड बनाने का अनुभव नही था, क्योकि किसी भी रोड को बनाने का अनुभव आवश्यक होता है तथा श्री किशन एण्ड कंपनी द्वारा विभाग के समक्ष कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है और न ही पेश किया गया है जितने भी प्रमाण पत्र लगाया गया है वह डामर रोड के है। इसके अलावा जो सबलेटींग ठेकेदार मे0 जगदम्बा कन्सट्रशन है उसके पास भी कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है जिससे कि वह उक्त रिंग रोड का निर्माण कर सके। इस कारण इस कंपनी को रिंग रोड का ठेका ही नहीं मिलना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा अधिकारीयो से अच्छी डिलींग करके सेटींग कर उक्त ठेका प्राप्त किया गया। क्योकि रोड बनाने की

Scanned with CamScanner

क्वालीफिकेशन में स्पष्ट दिया गया है कि रोड बनाने के लिये क्या–क्या अनुभव चाहिए। **(44)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के स्टीमेंट के अनुसार रिंग रोड की चौडाई 24 मीटर होनी चाहिए जो कि मौके पर बनाये गये रिंग रोड की चौडाई कही कम तो कही 24 मीटर है सभी जगह पर 24 मीटर नहीं है, लेकिन ठेकेदार द्वारा पूरी रिंग रोड में 24 मीटर के चौडाई की राशि का मेजरमेंट किया गया है तथा 24 मीटर के हिसाब से राशि का आहरण ठेकेदार द्वारा अधिकारियों से मिली–भगत कर लिया गया है। जबकि उक्त प्रावधान स्टीमेंट में दिये गये है जिसमें 24 मीटर रोड़ बनाया जाना है लेकिन मौके पर सभी जगह 24 मीटर रिंग रोड नहीं है। जो कि एम0बी0 के जांच से स्पष्ट हो जायेगा। **(45)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड की समयावधी 30 वर्ष की है जो कि डीपीआर में उल्लेख है। लेकिन जिस क्वाल्टी का रिंग रोड बनाया गया है वह 30 साल तक नहीं चलेगा, क्योकि अभी रिंग रोड बने एक साल ही हो रहा है और जगह–जगह रिंग रोड क्रेक आना चालू हो गया है क्योकि काफी घटिया निर्माण हुआ है। **(46)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के सीबीआर सबग्रेड अच्छा है उसे बदलने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन ठेकेदार द्वारा सबग्रेड खराब बताकर मिट्टी बदलने के नाम पर लगभग 4 करोड की राशि निकाल ली गयी है। जबकि पूर्व में डीपीआर में यह प्रावधान नहीं है लेकिन ठेकेदार को उक्त रिंग रोड़ निर्माण के बताये करोडो रूपये कमाना है जिसके कारण उक्त राशि भी निकाल लिया गया है जो स्पष्ट शासकीय राशि का गबन प्रमाणित होता है। **(47)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के डीपीआर के टेबल–4 के अनुसार 500 सबग्रेड करना था लेकिन ठेकेदार के द्वारा नहीं किया गया और उसकी भी पूरी राशि मेजरमेंट में उल्लेख करा कर निकाल ली गयी है इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य है जिसका उललेख मेजरमेंट में किया जाकर राशि निकाल ली गयी है लेकिन मौका स्थल पर उक्त कार्य दिखाई नहीं देता है तथा ठेकेदार अधिकारीयो से मिली भगत कर राशि निकाल ली गयी है। **(48)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का जो डीपीआर बनाया गया है उक्त डीपीआर में किसी भी व्यक्ति एवं अधिकारी के कोई भी हस्ताक्षर नहीं है क्योकि कोई भी डीपीआर तैयार होता है तो उसमें सभी अधिकारीयो के हस्ताक्षर होते है डीपीआर तैयार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते है लेकिन उक्त डीपीआर में किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। **(49)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के डीपीआर के कडिका कमांक 3.13 के 3.13.1 में

Scanned with CamScanner

जो डिजाईन का इंडियन रोड कांग्रेस का डिजाइन कोड दिया गया है वह समाप्त हो गया है, उस पर रिंग रोड बनाया गया है जबकि उक्त कोड समाप्त हो गया है उसके तहत कोई भी रिंग रोड़ का निर्माण नहीं हो सकता है तथा जो नया कोड था वह 2015 का है उसके तहत डिजाईन नहीं बनाया गया है। जबकि नियमतः अगर इंडिया रोड कांग्रेस का डिजाइन कोड नया दिया गया है तो उसके तहत निर्माण नहीं किया गया है तो नियमतः गलत है। **(50)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के कार्यो का मेजरमेंन्ट किसके द्वारा लिये गये है किस अधिकारी द्वारा इन कार्यो को मापा गया है का उल्लेख नहीं है जबकि सब इंजिनियर को **100 प्रतिशत, एसडीओ 100 प्रतिशत, तथा कार्यपालन अभियंता 10 प्रतिशत जांच करने का प्रावधान रहता है,** लेकिन मेजरमेंन्ट में किसी के द्वारा नहीं लिखा गया है कि किसके द्वारा जांच किया गया है तथा ठेकेदार के इंजिनियर, कन्सलटेन्ट का इजीनियर, सीजीआरडी का इंजिनीयर, मेज़रमेंट का जांच करेगा। लेकिन इन सबो के द्वारा कोई जांच नहीं किया गया है मेजरमेंट में किसका हस्ताक्षर है उसका नाम मेज़रमेंट में अंकित नहीं है जबकि नाम अंकित होना चाहिए। इसलिये उक्त मेजरमेंट फर्जी तैयार किय गया माना जायेगा। और फ़र्जीवाड़ा का गलत मेजरमेंट कर पूरी राशि निकाल ली गयी है जिसके लिये सभी अनावेदकगण संयुक्त रूप से जिम्मेदार है इस कारण भी सभी के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना आवश्यक है। **(51)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड के मेजरमेंट को किस दिनांक को तैयार किया गया है तथा किस दिनांक से किस दिनांक तक का मेजरमेंट है मेजरमेंन्ट कब लिया गया का दिनांक भी नहीं दिया गया है तथा कही भी दिनांक का उल्लेख मेजरमेंट में नहीं है इसलिये भी उक्त मेजरमेंट ठेकेदार द्वारा अपनी मनमर्जी से फर्जी तरीके से तैयार करा कर अधिकारीयो से मिली भगत कर राशि आहरण किया गया है। **(52)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 1 कंडिका 1.2.1 एफ में यह उल्लेख है कि ठेकेदार को रोड बनाने के पहले रोड मेंन्टनेस करना सभी सुविधा देना, सर्वे करना, लेबर इत्यादी की व्यवस्थ सभी कार्य करना है जो कि ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया था। इसके अलावा कंडिका 14.2 डी में यह उल्लेख है कि अनुबंध में उसे ही मान्य किया जायेगा क्लाज में दिया गया मान्य नहीं होगा। लेकिन अनुबंध में दिये गये नियमों का पालन ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है। **(53)** अम्बिकापुर में

Scanned with CamScanner

बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 2 स्कोप द प्रोजेक्ट के सुडूल–ए से एफ तक में दिया गया है कि रोड की चौडाई, लम्बाई के बारे में वर्क करने एवं फैसलेटी क्या देना है तथा प्रोजेक्ट के अलावा क्या–क्या देना है का उल्लेख है कौन से नियम स्फीकेशन एवं पालन करना है दिया गया है मेंन्टनेस के बारे में दिया गया है किस तरह रोड का मेजरमेंट करना है रोड बनाने से लेकर अनुबंध अवधि तक का जिसमें टाइम दिया गया है कितने दिन में क्या–क्या निर्माण करना है, सब इंजिनियर को रोज विजिट करना है, पानी का परमिशन, पर्यावरण विभाग से अनुमती इत्यादि के बारे में दिया गया है, इसके अलावा भी अन्य पूरी जानकारी दी गयी है। जिसका पालन ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है। क्योंकि ठेकेदार द्वारा पानी की चोरी की गयी उसका कोई भी अनुमति नहीं लिया गया तथा अन्य नियमों का भी पालन नहीं किया गया है। **(54)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 2 के (सी) में यह भी दिया गया है कि रिंग रोड के निर्माण के समय अगर कोई नई चीज एवं नया काम रिंग रोड में कराना होगा तो उसे भी ठेकेदार द्वारा किया जायेगा उसकी कोई भी राशि नहीं ली जायेगी, लेकिन ठेकेदार द्वारा नया काम बता कर अलग से लगभग 4 करोड़ की राशि निकाली गयी है जो कि स्पष्ट रूप से नियमों के विपरीत है। तथा अनुबंध के शर्तो का भी स्पष्ट उल्लघंन है इस कार्य में सभी अभियुक्तगण/अनावेदकगण जिम्मेदार है। **(55)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 3 यह दिया गया है कि सभी तरह के परमीशन ठेकेदार को लेना है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा बहुत सारे परमिशन ठेकेदार के द्वारा नहीं लिया गया तथा अनुबंधों का उल्लघंन किया गया। तथा कंडिका कमांक 3.2.1. में दिया गया है कि 50 प्रतिशत कार्य कांटेक्टर अपने अन्डर में खुद के सुपरविजन में करेगा, जिसमें स्टाप प्लांट, मशीनरी सभी कोन्टेक्टर के स्वयं का होगे तथा अधिकतम 50 प्रतिशत कार्य करने के बाद ही उपरोक्त कार्य को सबलेट पर दिया जा सकता है, लेकिन यहां पर किशन एण्ड कंपनी के द्वारा उक्त कंडिका पालन नहीं किया गया एवं पूरा कार्य ही सबलेट पर दे दिया गया है किशन एण्ड कंपनी के द्वारा कोई भी कार्य स्वयं नहीं किया गया है। पूरा कार्य पेटी कोन्टेक्टर जगदम्बा कंपनी के द्वारा किया गया है जिसके पास ना तो उक्त रिंग रोड निर्माण करने का अनुभव था और ना ही इसके

Scanned with CamScanner

पूर्व कोई रिंग रोड़ का कार्य किया गया है और ना ही इस तरह का सीसी रोड़ बनाया गया है। लेकिन इन सब चीजों को दर–किनार करते हुये किशन एण्ड कंपनी के द्वारा मोटी रकम लेकर उक्त रिंग रोड़ का सबलेट पर दे दिया गया है जो कि अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन है। **(56)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 3 कंडिका कमांक 3.2.2. में दिया गया है कि ठेकेदार अगर सबलेट पर उक्त कार्य को देता है तो उप ठेकेदार के बारे में कार्यालय में पूरी जानकारी मय अनुभव का देगा अगर नहीं देगा तो कार्य नहीं कर सकता है। यहां पर उप ठेकेदार जगदम्बा एण्ड कंपनी के द्व ारा कोई भी जानकारी सहीं तरीके से कार्यालय में जमा नही किया गया है। और ना ही सीसी रोड़ निर्माण के संबंध में कोई अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया और ना ही सबलेट के दस्तावेज प्रस्तुत किया गया इसलिये भी किशन एण्ड कंपनी के द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किया गया है। **(57)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एव ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 3 कंडिका कमांक 3.2.3. में दिया गया है कि अगर 50 करोड के उपर का काम किसी भी ठेकेदार को दिया जा रहा है तो उस ठेकेदार द्वारा पूर्व में 50 प्रतिशत सिमलर तरह का कार्य किया गया हो तभी कार्य उप ठेकेदारी पर दिया जा सकता है। अगर कांकीट फोर लेन बनाये होगे पिछले तीन साल में तभी कार्य दिया जायेगा और उसका भुगतान हुआ का दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत किया हो तभी कार्य दिया जायेगा अन्यथा उप ठेकेदार को कार्य नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कंडिका क्र0 3.2.3 का स्पष्ट उल्लघंन करते हुये किसी प्रकार का दस्तावेज लिये बगैर उक्त कार्य उपठेकेदारी पर दे दिया गया तथा किशन एण्ड कंपनी को जिस दिन से वर्क आर्डर मिला उसी दिन से जगदम्बा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया ना तो उसके द्वारा कोई सीसी रोड निर्माण के संबध में पूर्व में किये गये कार्य के भुगतान का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और ना ही कोई कार्य का नाम बताया गया जो कार्य का उल्लेख अनुभव के रूप मे बताया गया वह सभी रोड़ डामर रोड़ थे सीसी रोड नहीं था और जो डामर रोड जगदम्बा कंपनी के द्वारा बनाया गया है वह भी काफी घटिया क्वालिटी का बनाया गया जो वर्तमान में खराब हो गये है लेकिन उक्त सब तथ्यों को अनदेखा करते हुये अधिकारियों के द्वारा मुख्य ठेकेदार के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी जो कि स्पष्ट अनुबंध का उल्लघंन है।

Scanned with CamScanner

(58) अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 3 कंडिका कमांक 3.2.4. में दिया गया है कि अगर मुख्य ठेकेदार उप ठेकेदारी पर कार्य दे भी दिये है तो भी ठेकेदार अपनी जबाबदारी से मुकर नहीं सकता है मुख्य ठेकेदार ही जबाबदार रहेगा। लेकिन यहां पर मुख्य ठेकेदार अपने आप को मोटी कमिश्न लेकर कार्य से बचता रहा है तथा रिंग रोड के घटिया निर्माण के संबंध में उप ठेकेदार के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं किया इसलिये मुख्य ठेकेदार के अलावा उप ठेकेदार भी दोषी है जो कि अनुबंध में स्पष्ट दिया गया है। **(59)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 4 में छ0ग0रो0डे0का0लि0 को क्या–क्या जिम्मेदारी पूरी करनी है के बारे में दिया गया है तथा कंडिका कमांक 4.1.3 में यह दिया गया है कि अनुबंध के 60 दिन के अन्दर 90 प्रतिशत लेन्थ का रॉ ठेकेदार को दे देना है। लेकिन ठेकेदार के द्वारा अनुबंध के आर्टिकल 4 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और ना ही छ0ग0रो0डे0कालि0 के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा किया गया इसलिये भी सभी अभियुक्तगण/अनावेदकगण संयुक्त रूप में उक्त कार्य में हुये गडबडी के लिये जिम्मेदार है। **(60)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 6 के कंडिका 6.11 महत्वपूर्ण है क्योकि इसमें स्पष्ट दिया गया है कि रिंग रोड के निर्माण के संबंध में पूरी जानकारी ठेकेदार को रहती है रिंग रोड के नीचे क्या है, कितनी मिट्टी, मुरम है, ट्रैफिक क्या है, क्वाल्टी क्या है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि रिंग रोड के नीचे से कचडा निकल गया और उसके लिये अलग से राशि बढवा लिया गया जो कि इस अनुबंध का उल्लघंन किया गया है। क्योंकि ठेकेदार के द्वारा रिवाईज स्टीमेंट जो एनेक्सर–है कि स्वीकृति अनुबंध के आर्टिकल 6 के कंडिका 6.11 के विपरीत जाकर रिवाईस स्टीमेंट बनाकर उसकी राशि भी अधिकारियों से मिली–भगत कर ठेकेदार के द्वारा निकाल लिया गया है इसलिये भी ठेकेदार एवं अधिकारीगण शासकीय राशि के गबन किये जाने हेतु दोषी है। **(61)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 6 के कंडिका 6.13 महत्वपूर्ण है क्योकि इसमें स्पष्ट दिया गया है कि अनुबंध से ज्यादा राशि नही बढा सकते है लेकिन उक्त अनुबंध के कंडिकाओं का नजर अंदाज करते हुये अधिकारीगण ठेकेदार से मिली भगत कर अनुबंध में लेख किये गये राशि से काफी

Scanned with CamScanner

अधिक राशि बढा कर भुगतान कर दिया गया है तथा शासकीय राशि का गबन मिली भगत कर किया गया है। जो कि अभियुक्तगण/अनावेदकगण की संयुक्त रूप से अपराध प्रमाणित होती है तथा अनुबंध के आर्टिकल 6 के कंडिका 6.13 का स्पष्ट उल्लघंन है इसलिये भी सभी अभियुक्तगण/अनावेदकगण के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना आवश्यक है। **(62)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 10 के कंडिका 10.1.3, 10.1.5, 10.1.6 का भी उल्लघंन किया गया है इसके अलावा आर्टिकल 10 के बहुत से कंडिकाओ जिसमें 10.5.2 है का भी उल्लघंन ठेकेदार द्वारा किया गया है। **(63)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 11 के कंडिका 11.2 के अनुसार क्वाल्टी इंश्योरेंश प्लान (QAP) का भी उल्लघंन किया गया है इसके अलावा आर्टिकल 10 के बहुत से कंडिकाओ का भी उल्लघंन ठेकेदार द्वारा किया गया है। जो कि मौका स्थल एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रमाणित है। **(64)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 11 के कंडिका 11.3 के अनुसार ट्रैफिक मेन्जमेंट में क्या–क्या सिक्यूरिटी का प्लॉन होगा देना होता है लेकिन ठेकेदार के द्वारा उक्त संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिये उक्त कंडिका का भी उल्लघंन ठेकेदार द्वारा किया गया है। तथा उसमें भी मोटी रकम ठेकेदार के द्वारा अधिकारियों से मिली–भगत कर बचाया गया है। **(65)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 11 के कंडिका 11.5 के अनुसार ठेकेदार को स्कट्रकर टेकनिकल आडिट देना होता है जो ठेकेदार के द्वारा नहीं दिया गया है। तथा आडिट थर्ड पार्टी से कराया गया जिसकी रिर्पोट विभाग को देनी थी जबकि ठेकेदार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तथा नियमों का उल्लघंन किया गया है इसलिये भी ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरूद्ध नियमों का उल्लघंन करने के संबंध में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा वर्तमान में रिंग रोड में बहुत जगह फुटपाथ पर टाईल्स नहीं लगाये है, तथा जो टाईल्स लगाये गये है वह भी जगह जगह घटिया क्वाल्टी का होने के कारण उखड रहा है। तथा लाईट भी जो लगाया गया है वह भी काफी घटिया क्वाल्टी का क्योकि बहुत सी लाईटस अभी जल भी नही रही है जबकि वे गारंटी अवधि में है। उपरोक्त कार्यो की भी राशि पूरी ठेकेदार द्वारा

Scanned with CamScanner

अधिकारीयो को प्रभावित कर निकाल लिया गया है इसलिये भी शासकीय राशि के गबन का अपराध पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है। **(66)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 11 के कंडिका 11.10.1 के अनुसार ठेकेदार को रोड के 20 प्रतिशत भाग का क्वालिटी टेस्ट कराना था जो कि नहीं कराया गया जिसके कारण रोड खराब बना। तथा टेस्ट ठेकेदार के द्वारा कराया गया भी गया है उक्त टेस्ट मात्र कागजो में है मौके पर किसी प्रकार की क्वालिटी टेस्ट नहीं कराया गया है एवं भारत सरकार के द्वारा टेस्टींग प्रकिया के नियमों का पालन नहीं किया गया है जिसके कारण अम्बिकापुर के रिंग रोड बहुत ही खराब हुआ है तथा बहुत जगह दरारे होने लगी है तथा कही भी रिंग रोड़ समलत नहीं है इसलये उक्त कंडिका का उल्लघंन ठेकेदार के द्वारा किया गया है जिसके लिये ठेकेदार एवं अधिकारीगण दोषी है। **(67)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 12 के कंडिका 12.1 व 12.2 के अनुसार ठेकेदार को कार्य की सभी जांच रिपोर्ट देना चाहिये लेकिन ठेकेदार के द्वारा सही तरीके से कोई भी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है सिर्फ अधिकारियों से मिली–भगत कर गलत जांच रिपोर्ट को विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया है सही जांच रिपोर्ट को सामने नहीं आने दिया गया है इसलिये भी ठेकेदार एवं अधिकारीगण उक्त कार्य हेतु जिम्मेदार है। **(68)** अम्बिकापुर में बने रिंग रोड का विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध के आर्टिकल 13 के कंडिका 13.2.2 के अनुसार ठेकेदार को इसलिये उक्त कंडिका का भी उल्लघंन ठेकेदार द्वारा किया गया है।इस तरह ठेकेदार के द्वारा बहुत सारे कंडिकाओं का उल्लघंन किया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण/ अनावेदकगण क्र0 1 से लेकर 11 तक अपने–अपने स्तर पर उक्त रिंग रोड़ के निर्माण में फर्जीवाड़ा एवं शासन के राशि का गबन किये है जो धारा 409, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 के तहत दण्डनीय है तथा सभी अभियुक्तगण/अनावेदकगण संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक उक्त घटना के लिये जिम्मेदार है इसलिये उपरोक्त संलग्न दस्तावेजो के आधार पर सभी अभियुक्तगणों/अनावेदकगणों के विरूद्ध शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में धारा 409, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराये जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

अभियुक्तगण/अनावेदकगण यह जानते हुये कि रिंग रोड के निर्माण हेतु पूरा मैप बनाया गया है डिजाईन बनाया गया है उसकी स्टीमेट तैयार किया गया है उसका सर्वे कराया गया था उसी सर्वे के मुताबिक रिंग रोड का निर्माण होना था लेकिन उपरोक्त तथ्यो को भली भांति जानते हुये भी रिंग रोड के निर्माण हेतु मापदण्डों को पालन ना करके रिंग रोड को मनमाने व गुणवत्ताविहीन सडक का निर्माण किया है तथा रिंग रोड हेतु आबंटित राशि का गबन सभी अभियुक्तगणों/ अनावेदकगणो ने मिल कर किये है इसलिये सभी अभियुक्तगणो/ अनावेदकगणो के विरूद्ध धारा 409, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया जाना जनहीत में एवं न्यायहीत में आवश्यक है जिससे जनता के टैक्स के पैसो से हो रहे विकास कार्य में किये गये गबन करने वालो को सजा दिलाया जा सके और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना सकार किया जा सके। अभियुक्तगण/ अनावेदकगण के विरूद्ध दिनांक 29/1/ 2021 को कोतवाली थाना अम्बिकापुर में प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर थाना अम्बिकापुर के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण दिनांक 15/2/2021 को पुलिस अधीक्षक सरगुजा अम्बिकापुर के समक्ष अनावेदकगण के विरूद्ध प्रथम सूचनापत्र दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन उसके उपरांत भी अनावेदकगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया जिसके कारण यह आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 409, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 के तहत पंजीबद्ध कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अम्बिकापुर में बने रिंग रोड़ में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदार, पेटी ठेकेदार तथा उक्त कार्य में संलग्न सभी अधिकारीयो के विरूद्ध शासकीय राशि का गबन करने एवं संयुक्त रूप से साज़िश करने एवं शासकीय राशि आहरण करने के लिये फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में थाना अम्बिकापुर को अपराध अन्तर्गत धारा 409, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया है।

परिवाद पत्र का अवलोकन परीशीलन किया गया। आवेदक/परिवादी की ओर से धारा 156 (3) द0 प्र0 सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है साथ ही आवेदक की ओर से दस्तावेज के रूप में थाना अम्बिकापुर में की गयी लिखित शिकायत दिनांक 29/1/2021 की

Scanned with CamScanner

फोटोप्रति, दिनांक 15/2/2021 को पुलिस अधीक्षक सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत आवेदन की फोटोप्रति, एनेक्सर–1 से एनेक्सर–33 एवं रिंग रोड के घटिया निर्माण के संबंध में समय–समय पर समाचार पत्रों में जारी समाचार के पेपर कटिंग की फोटोप्रति प्रस्तुत किया है। इस तरह परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन/परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि आवेदक/परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त दस्तावेजों से होती है। **न्यायदृष्टांत ललिता कुमारी विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य 2013(5) एम.पी.एच.टी. 336 (एस.सी.)** के प्रकरण में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना/शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस द्वारा तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज करना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ललिता कुमारी प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के प्रकरण में दिये गये दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य व प्रकरण में संलग्न आवेदन/परिवाद पत्र, परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से अनावेदकगण पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का प्रकरण बबना परिलक्षित होने से थाना अम्बिकापुर को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन/परिवाद पर से प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध कर प्रकरण का विधिवत् अन्वेषण पश्चात् धारा 173 दं.प्र.सं. के तहत अंतिम प्रतिवेदन/खात्मा/खारिजी प्रतिवेदन पेश करें तथा उक्त कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन इस न्यायालय को प्रेषित करें।

परिवादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं दस्तावेजों की प्रतिलिपि के साथ उक्त आशय का ज्ञापन थाना प्रभारी अम्बिकापुर को प्रेषित किया जावे।

प्रकरण प्रतिवेदन हेतु– 07/01/22

7/1/22

(दीपक कुमार कोशले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग.

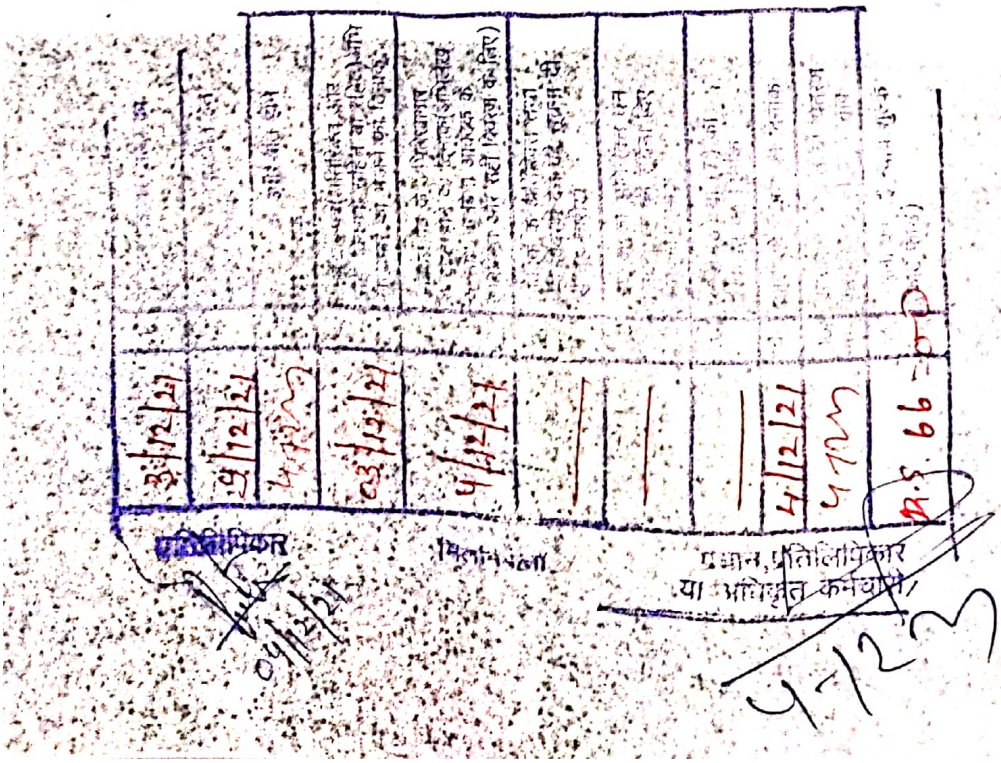

सत्यप्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बिकापुर (सरगुजा) छ ग

Scanned with CamScanner